प्रेस नोट
दिनांक- 08.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन मे निर्माणाधीन ट्रांजिस्ट महिला हास्टल का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को दिए गये आवश्यक दिशा निर्देशः

आज दिनांक 08.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिस्ट महिला हास्टल का निरीक्षण किया गया तथा मानक के अनुरूप उच्च कोटि की सामाग्री का प्रयोग करने व कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लि0) को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 01 करोड़ 95 लाख 78 हजार की लागत से निर्माणाधीन महिला हास्टल में 04 फ्लोर है, जिसमें प्रत्येक फ्लोर पर 12 कमरे तथा सम्पूर्ण हास्टल में कुल 48 कमरो का निर्माण किया गया है तथा पुलिस कर्मियों के बेहतर सुबिधाओं हेतु प्रत्येक फ्लोर पर आधुनिक भोजनालय व स्नानघर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हास्टल में अच्छे प्रकाश की व्यवस्था हेतु आधुनिक बिजली उपकरण लगाये गये है। महोदय द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर कार्यदायी संस्था के जे0ई0, ठेकेदार, प्रतिसार निरीक्षक, पी0आर0ओ0 व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.01.2025, थाना इटियाथोक,
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 264/2024, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्त शेषराम पुत्र राजकिशोर सोनकर निवासी ग्राम कुम्हारनपुरवा मौजा मोहनपुर असधा पो0 अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का VIVO Y50 कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत वादिनी द्वारा थाना इटियाथोक पर लिखित सूचना दी कि अयाह चौराहा इटियाथोक के पास उनका VIVO Y50 कम्पनी का मोबाइल फोन किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0सं0- 264/2024, धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 08.01.2025 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त शेषराम पुत्र राज किशोर सोनकर निवासी ग्राम कुम्हारनपुरवा मौजा मोहनपुर असधा पो0 अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का VIVO Y50 कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शेषराम पुत्र राज किशोर सोनकर निवासी ग्राम कुम्हारनपुरवा मौजा मोहनपुर असधा पो0 अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0- 264/2024, धारा 379 भादवि, थाना इटियाथोक, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी का VIVO Y50 कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शमशेर खाँ
02. हे0का0 कोमल प्रसाद यादव
03. हे0का0 शिवजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.01.2025, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अखिलश पुत्र जगराम निवसी ग्राम लालपुरवा भगहर बुलन्द थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 15.12.2021 को थाना को0देहात को सूचना दिया कि पुरानी रंजीश को लेकर विपक्षीगण द्वारा गाली गलौज देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 महिमा नाथ उपाध्याय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनाकं 08.01.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूजा सिंह द्वारा थाना को0देहात पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, लोक अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह सिंह , कोर्ट मोहर्रिर का0 दीपांशु सिंह व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 08.01.2025 को दोषी अभियुक्तों को 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. माता प्रसाद पुत्र रामदत्त निवासी ग्राम लालापुरवा, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।
02. शिव प्रसाद यादव पुत्र रामसुन्दर निवासी ग्राम लालापुरवा, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 448/2021, धारा 308, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना को0देहात, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।